निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 40/2023 (राजस्व अपील)

1. काना पुत्र नारायण जाति जाट (फोत)

1/1. बाबूलाल पुत्र काना जाति जाट

1/2 हरिनारायण पुत्र काना जाति जाट

समस्त निवासी ग्राम चक भौज्या, पोस्ट मूण्डियारामसर, तहसील जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. गोदिया पु जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम नीमेडा तहसील जयपुर (फौत)

1/1. कजोड पुत्र गोदिया जाति जाट

1/2. सीताराम पुत्र गोदिया जाति जाट

समस्त निवासी ग्राम चक भौज्या, पोस्ट मूण्डिया रामसर तहसील जयपुर

1/3. गोपाल पुत्र गोदिया जाति जाट विवासी ग्ग्रमा नीमेडा, तहसील जयपुर

2. गोपाल पुत्र बिरदाराम जाति जाट निवासी ग्राम निमेडा, तहसील जयपुर ।

3. जयराम पुत्र बिरदाराम जाति जाट निवासी ग्राम निमेडा, तहसील जयपुर ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम नीमेडा तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 391 पर पारित आदेश दिनांक 10.09.1998

उपस्थित :-

1.श्री अजय सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

2. श्री नरेश कुमार जैन अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से।

(कलक्टर) जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 12.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम नीमेडा तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 391 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.1998 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार जैन ने उपस्थित हो कर वकालतनामा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

व प्रारम्भिक आपत्ति पेश की । मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष ने लिखित बहस पेश की।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया दिनांक 10.09.1998 को ग्राम पंचायत नीमेडा पर समस्या समाधान अभियान 1998 का आयोजन किया गया इसमें अपीलार्थी सहखातेदारों की सहमति से प्रशासन के इस अभियान में अपीलार्थी उक्त खाते का विभाजन करवाया गया। उक्त खाते के विभाजन में अपीलार्थी की उक्त वर्णित भूमि के लिए कुल 17 खसरा नम्बरों का 5 खातेदारों के पृथक पृथक खाते कायम किये गये तथा परिवार की सामूहिक आवश्यकता के लिए आबादी एवं इसके लगती हुई भूमि तथा परिवार की अन्य आवश्यकता के लिए खसरा नम्बर 94 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 215/530 रकबा 05 बिस्वा को शामलाती खाते में अर्थात गोदिया पुत्र जगन्नाथ हि 1/2, कान्ना, मांगू पिता नारायण हि॰ 1/4 छीतर, प्रभात पिता रामला व ज्याना बेवा रामला हि 1/4 ब॰ हि॰ बराबर कौम जाट निवासी नीमडा तहसील जयपुर जिला जयपुर के शामलाती खाते में रखा गया। उपरोक्त प्रस्तुत बंटवारानामा पर सभी सह खातेदारों द्वारा अपनी सहमति के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी दर्ज की गई है। बंटवारानामा को अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस बंटवारे पर पटवारी हल्का द्वारा जांच कर रिपोर्ट की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जांच की जाकर बंटवारे को सही होने की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तदुपरान्त तहसीलदार जयपुर ने बंटवारे से सहमति प्रदान करते हुए बंटवारा स्वीकार किया जाकर पटवारी हल्का को निर्देश दिये गये कि, वह नामान्तरकरण दर्ज कर प्रस्तुत करे। उक्त बंटवारे के अनुसार अपीलार्थी वर्षो तक शामलाती भूमि का बदस्तूर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। हाल ही में चलाये गये डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मोडिफिकेशन प्रोग्राम के तहत राजस्व रिकार्ड को अपलोड किये जाने के दौरान अपीलार्थी अपील में वर्णित अन्य सम्पत्ति के दूरस्तीकरण के लिए जब अपने खाते देखे तो पता चला कि अपीलार्थी के खाते एवं स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के शामलाती खाते में अपीलार्थी के पिता का नाम ही बंटवारानामा के विपरीत गायब कर दिया गया । अपीलार्थीगण को सर्व प्रथम वर्ष 2020 के अतिम क्वॉर्टर के अरिब करीब अपील में आलोचित कार्यवाही का पता चला तो नकल भी प्राप्त की तथा वकीलों से राय मशविरा भी प्राप्त किया एवं प्रशासनिक स्तर पर भी दूरस्तीकरण के प्रयास किए। रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के दौरान यह प्रकट आया कि दिनांक 10.09.1998 को समस्या समाधान अभियान 1998 पंचायत नीमेडा पर अपीलार्थी के द्वारा बंटवारानामा अपीलार्थी सभी सह खातेदारों द्वारा सहमति से किये गये विभाजन के अनुरूप ही स्वीकृत किया गया था। (ए) विभाजन को पक्षकारो के प्राईवेट बंटवारानामा के अनुसार स्वीकृत किया गया था (बी) बंटवारे में शामिलालात की भूमि में अपीलार्थी के पिता का नाम था। (सी) बंटवारे के आधार पर राजस्व प्रविष्टि में अपीलार्थी के पिता का नाम शामिलात की भूमि से त्रुटिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया जिसके लिए पता चलते ही यह अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार द्वारा बंटवारानामा पर दिये गये उक्त आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम नीमेडा में बंटवारा आदेश दिनांक 10.09.1998 समस्या समाधान अधियान 1998 पंचायत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नीमेडा के अनुसार अपनी टिप्पणी "श्रीमान मुताबिक बंटवारानामा आदेश दिनांक 10.09.1998 की पालना में नामान्तरकरण भर कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। " ह० पटवारी हल्का " के साथ नामान्तरकरण संख्या 391 दिनांक 10.09.1998 को दर्ज किया गया एवं उसी दिन अर्थात दिनांक 10.09.1998 को भू अभिलेख निरीक्षक हल्का द्वारा "अंकन मुताबिक तकास्मा सही है।" जांच की गई । पटवारी तथा भू–अभिलेखक निरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी एवं जांच के आधार पर तहसीलदार जयपुर द्वारा उसी दिन इस नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया । इस नामान्तरकरण में जो शामलाती खाते के लिए जो प्रविष्टि दर्ज की गई वह इस प्रकार है – गोदिया पुत्र जगन्नाथ हि० 5/8 व मांगू पुत्र नारायण हि० 1/8 व छीतर, प्रभात हि० 1/4 पि रामला जाट । वस्तुत यह नामान्तरकरण मूल बंटवारानामा पर दिये गये निर्णय सहमति के अनुसार दर्ज ही नहीं किया गया । इस खाते में अपीलार्थीगण के पिता काना का नाम विलोपित कर दिया गया एवं उसके स्थान पर गलत तरीके से गोदिया पुत्र जगन्नाथ हि० 1/2 के स्थान पर अवैद्यरूप से बढा कर 5/8 कर दिया गया । इस प्रकार मूल बंटवारानामा में सह खातेदारों की सर्व सम्मति से प्रस्तुत किये गये बंटवारानामा पर अंतिम रूप से दी गई तहसीलदार जयपुर की स्वीकृति के बावजूद नामान्तरकरण की प्रकिया में पटवारी भू–अभिलेख निरीक्षक एवं स्वयं तहसीलदार जयपुर द्वारा रिकार्ड मे प्रविष्टि किये जाने के दौरान परिवर्तन कर दिया गया । इसका उन्हें कोई अधिकार नही था। राजस्व ग्राम नीमेडा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 223 एव 224 पर अपीलार्थीण के पिता के हक व हिस्सा 1/8 को जो कांट छांट करते हुये फर्जीवाडे के साथ गलत तरीके से गोदिया पुत्र जगन्नाथ के हक में जोड दिया गया है। मात्र इस हद तक नामान्तरकरण संख्या 391 दिनाक 10.09.1998 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार में यह सही है कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा अपने जीवन काल में एक रिलीज डीड हक त्याग पत्र अपने सगे भाई मांगू पुत्र नारायण के पक्ष में दिनांक 08.09.1998 को करवाई गई थी। इस रिलीज डीड में अपीलार्थीगण के पिता श्री काना द्वारा खसरा नम्बर 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99/501, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 215, 102, 215/530 एवं 217 में अपना हिस्सा 1/8 अपने भाई के हक में हक त्याग दस्तावेज का पंजीयन करवा दिया गया था। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान में हक त्यागगृहणकर्ता मांगू के हक उत्पन्न हो गये थे तथा इस हक त्याग के लिए समस्या समाधान अभियान के दिन ही नामान्तरकरण संख्या 389 दिनांक10.09.1998 को तस्दीक हो गया। शेष खसरा नम्बर 223 एवं 224 में अपीलार्थीगण के पिता का हक बदस्तूर रहा था। इस खसरा नम्बर 223 व 224 के लिए अपीलार्थीगण के पिता का हक हिस्सा 1/8 होते हुए भी अपीलार्थीगण के पिता का नाम जालसाजी से विलोपित करते हुए इस हिस्से को गोदिया पुत्र जगन्नाथ के हक में जोड़ दिया गया है । इससे अपीलार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हुआ है। गोदिया पुत्र जगन्नाथ द्वारा इस आधारहीन व अनुचित तरीके से उसके नाम में प्राप्त भूमि को विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2003 द्वारा गोपाल पुत्र बिरदा राम हि० 7/8 व जयराम पुत्र बिरदाराम हि० 1/8 जाति जाट सा० देह के नाम बेचान कर दिया जिसके आधार पर उसके नाम से नामान्तरकरण संख्या 617 दिनांक 18.01.2017 स्वीकृत किया गया है। गोदिया पुत्र जगन्नाथ जाट द्वारा किया गया बेचान एवं इस बेचान के आधार पर नवीन केतागण प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम से किया गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही विधि शून्य है। इस अपील में अपेक्षित कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थीगण या उसके पिता को नोटिस नहीं दिया

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

गया। अपीलार्थीगण मौके पर प्रश्नागत सम्पत्ति के उपयोग उपभोग में काबिज है। मौके पर रेकार्ड की स्थिति को सत्यापित नहीं किया गया। मौके की स्थिति के विपरीत रेकार्ड की स्थिति बदल दी गई । अपेक्षित कार्यवाही से अपीलार्थीगण के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है, उसके बाद भी अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । इस आधार पर भी अपेक्षित राजस्व प्रविष्टि अपील की हद तक निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण के पिता एक अनपढ एवं साधारण एवं सीधे सादे भोले व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त समय के साथ रिकार्ड की जानकारी होने पर प्रकरण संज्ञान में आने के साथ ही आवश्यक कागजात की नकलें आदि प्राप्त कर यह अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील में अचल सम्पत्ति के मुताल्लिक पक्षकारों के सारभूत अधिकारों का निर्णय होना है । वहां परिसीमा के तकनीकी बिन्दु पर अपील का निर्णय नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत रूप से राजस्व पृविष्टि में त्रुटि हुई है। स्वीकृत रूप से अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य हुए बंटवारानामा के अनुसार ही विभाजन करना अनुमोदित हुआ था। स्वीकृत रूप से बंटवारानामा के विपरीत एक शामिलात खाते में से अपीलार्थीगण के पिता का नाम विलोपित कर त्रुटि कारित हुई है जिसको दुरस्त किया जाना आवश्यक है। परिसीमा के बिन्दु पर दृष्टान्त (A) [2209] 1 RLW (Rj)151/(2009) 0 Supreme (Raj) 64, (B) [2011] 55 RCR (Civ) 158/[2011] 0 Supreme (Raj) 2574/ [2012]1 WLN 243, (C) [2012]71 RCR (civ) 61/[2012] 0 Supreme (Raj) 1494/ [2012] 2 WLN 614, (D) [2008] 2 RLW (Rj)1142/[2008] 0 Supreme (Raj) 924, (E) [2009)1 RLW (Rj)659/[2009]o Supreme(Raj)380 (F) [2007] 2 RLW (RJ0916/[2007] o Supreme (Raj) 872, अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार फरमावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि वर्ष 1998 में राज्य सरकार की ओर से चलाये गये समस्या समाधान अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निमेडा पर दिनांक दिनांक 10.09.1998 को आयोजित समस्या समाधान अभियान में अपीलार्थीगण सहित अन्य सभी खातेदारान ने सहमति से अपने खाते का विभाजन करवाया है। उक्त विभाजन में सभी खातेदारों के मध्य उनके हिस्से अनुसार विभाजन करते हुए 5 खातेदारो के पृथक पृथक खाते कायम किये गये और खसरा नम्बर 94, 99, 223, 224 व 215/230 इन्हें शामलाति खाते में रखा गया । इस सहमति पत्र विभाजन पर सभी खातेदारान ने शिविर में ही अपनी सहमति अंकित करते हुए अपनी अंगूंठा निशानी बंटवारानामा पर कर दी। जिसके अनुसार खातेदारान का विभाजन करते हुये तत्काल मौके पर विभाजन पत्र पर स्वीकृति के अनुसार विभाजन में हुये अलग अलग खातों का नामान्तरकरण संख्या 391 उसी दिन दिनांक 10.09.1998 को ही तस्दीक कर दिया। यह नामान्तरकरण भी सभी पक्षकारान के समक्ष उनकी मौजूदगी में ही मौके पर ही तस्दीक किया गया। इस प्रकार नामान्तरकरण तस्दीक के समय काना पुत्र नारायण अपीलार्थीगण का पिता स्वयं भी मौजूद था। नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी काना पुत्र नारायण को उसके तस्दीक की दिनांक से ही रही है। अपीलार्थीगण का अपनी लिखित बहस में यह लिखना गलत है कि डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मोडिफिकेशन प्रोग्राम के तहत राजस्व रिकार्ड को अपलोड किये जाने के दौरान अपीलार्थी ने अपनी सम्पत्ति के खाते सन् 2020 के अन्तिम क्वार्टर में देखे, तो पता चला कि शामलाति खाते में से उनके पिता का नाम बंटवारानामा के विपरीत गलत तरीके से हटा दिया । जबकि वस्तु स्थिति यह है कि नामान्तरकरण संख्या 391 के तस्दीक के समय काना पुत्र

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) ...

Scanned with OKEN Scanner

नारायण स्वयं मौजूद था एवं इस नामान्तरकरण की उसे पूरी जानकारी रही है । उसने अपने जीवन काल में कभी भी इस नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी। नामान्तरकण को चुनौती देने की अविधि उसके जीवन काल में ही समाप्त हो चुकी थी। अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने हेतु उसे अब मयाद का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 3 मयाद अधिनियम स्पष्ट प्रावधान करता है कि एक बार मयाद आरम्भ होने के बाद रूकती नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपील में वह तिथि कहीं अंकित नही की गई । जबकि जानकारी की स्पष्ट तिथि अंकित करना अनिवार्य है और उसी अनुरूप मयाद का लाभ मिलता है। अपीलार्थी द्वारा जो मयाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें भी कोई दिनांक अंकित नही है। उसके द्वारा प्रार्थना पत्र वर्ष 2020 के अन्तिम क्वार्टर में जानकारी होना अंकित किया गया है। एक क्वार्टर में 3 माह की अवधि होती है जो 90 दिवस या 92 दिवस की अवधि होती है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की मात्र 30 दिवस है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतः ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत ना होना सबित है और जानकारी का कथन संदेहास्पद है। यहां यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.01.2021 को लगभग 4 माह बात प्रस्तुत की गई है। इस तरह अपीलार्थीगण न्यायालय से मयाद अधिनियम के अनुसार छूट प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उनके द्वारा जो कानूनी उद्वरण प्रस्तुत किये गये है वे उन्हें कानूनन किसी प्रकार की मदद नहीं करते है। इन दृष्टान्तों के अनुसार यदि निर्णय जैर अपील प्रभावित व्यक्ति की अनुपस्थिति में या उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रदान किया गया है तो उसे डिले कन्डोन करने के आदेश दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण जैर अपील अपीलार्थी के पिता काना की मौजूदगी में उसकी सहमति के आधार पर तस्दीक किया गया है । अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उद्वरण कानूनन उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करते है। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि न्यायालय को गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के प्रश्न को ही निर्णित करना आवश्यक है। विना मियाद पर अपना मनतव्य किये बिना अपील के गुणावगुण पर विचार नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में 2009 AIR(SC)1927, 2006(2)RRT(HC)1092, 2013(1)RRT 456, 2015(1)RRT 690, 2015(2)RRT 1425 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद में ऐसा कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं है जिसके आधार पर सहानुभूतिपूर्वक भी विचार किया जा सके । यहां तक कि तारीख जानकारी का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण डिले कन्डोन पाने के अधिकारी नही है । इस सम्बन्ध में निम्न उद्वरण 2016(2)RRT 1110, 2017(3)DNJ1054, 2018(2) RRT 1030, 1998 AIR(SC)2276 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण ने नकल प्राप्त होने के बाद अपील प्रस्तुत करने में इतना समय कहां, कैसे व्यतीत किया इसका उल्लेख भी अपने प्रार्थना पत्र. में कहीं नही किया जबकि उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रतिदिन का समय स्पष्ट करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में 1986 RRD 22 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में यह तथ्य स्वीकार किये है कि नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात भूमि का हस्तानान्तरण के आधार पर केताग्रण का नाम राजस्व रिकार्ड में सन् 2007 में अंकित हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस अपील के द्वारा पश्चातवर्ती नामान्तरकरणों पर कोई आदेश देने हेतु न्यायालय सक्षम नहीं है ना ही इस अपील के माध्यम से उन विक्रय पत्रों एवं नामान्तरकरणों को चुनौती दी जा सकती है

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीगण को उन्हें चुनौती देने के लिए सक्षम न्यायालय में जाना आवश्यक है। यह न्यायालय इस सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। अतः अपील धारा 5 मियाद अधिनियम पर ही खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. तहसीलदार जयपुर द्वारा के समक्ष प्रस्तुत एव तस्दीक बंटवारानामा में खसरा नम्बर 94 रकबा 9 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 99 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 223 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा बारानी सोयम, खसरा नम्बर 224 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 215/530 रकबा 5 बिस्वा गै. मु. रास्ता शामलाती दर्ज है। जिसमें अपीलार्थीगण के पिता काना का नाम दर्ज है, किन्तु बंटवारानामा के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण के पिता काना का नाम नहीं है। इससे अपीलाधीन नामान्तरकरण बंटवारानामा के अनुसार तस्दीक किया जाना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम नीमेडा तहसील जयपुर के अपीलाधीन नामान्तरकण संख्या 391 निर्णय दिनांक 10.09.1998 को खसरा नम्बर 223 व 224 की हद तक अपास्त किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 223 व 224 का पक्षकारान की सहमति से तस्दीक किये गये बंटवारानामा दिनांक 10.09.1998 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत तहसीलदार जयपुर को प्रेषित हो । पत्रावली शुमार फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner